शिक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 25

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	96890.13	...	96890.13	104804.30	0.55	104804.85	116473.15	0.65	116473.80	127874.34	0.76	127875.10
वसूलियां	*-38250.57*	...	*-38250.57*	*-36000.00*	...	*-36000.00*	*-44000.00*	...	*-44000.00*	*-54867.00*	...	*-54867.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**58639.56**	**...**	**58639.56**	**68804.30**	**0.55**	**68804.85**	**72473.15**	**0.65**	**72473.80**	**73007.34**	**0.76**	**73008.10**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.09	...	32.09	35.46	0.55	36.01	42.17	0.65	42.82	54.26	0.76	55.02
2. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2.26	...	2.26	3.00	...	3.00	2.98	...	2.98	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**34.35**	**...**	**34.35**	**38.46**	**0.55**	**39.01**	**45.15**	**0.65**	**45.80**	**54.27**	**0.76**	**55.03**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	3.97	...	3.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
5. राष्ट्रीय अर्थोपाय सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	306.50	...	306.50	364.00	...	364.00	358.00	...	358.00	377.00	...	377.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**310.47**	**...**	**310.47**	**364.01**	**...**	**364.01**	**358.00**	**...**	**358.00**	**377.01**	**...**	**377.01**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	7461.25	...	7461.25	8363.98	...	8363.98	8500.00	...	8500.00	9302.67	...	9302.67
7. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	4920.30	...	4920.30	5486.50	...	5486.50	5470.00	...	5470.00	5800.00	...	5800.00
8. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	398.27	...	398.27	518.50	...	518.50	480.00	...	480.00	510.00	...	510.00
9. राष्ट्रीय बाल भवन	20.52	...	20.52	22.38	...	22.38	20.00	...	20.00	26.00	...	26.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**12800.34**	**...**	**12800.34**	**14391.36**	**...**	**14391.36**	**14470.00**	**...**	**14470.00**	**15638.67**	**...**	**15638.67**
अन्य												
10. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	...	...	...	6000.00	...	6000.00	17000.00	...	17000.00	11377.00	...	11377.00
11. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	-6000.00	...	-6000.00	-6000.00	...	-6000.00	-11867.00	...	-11867.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**11000.00**	**...**	**11000.00**	**-490.00**	**...**	**-490.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**12800.34**	**...**	**12800.34**	**14391.36**	**...**	**14391.36**	**25470.00**	**...**	**25470.00**	**15148.67**	**...**	**15148.67**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
12. समग्र शिक्षा												
12.01 समग्र शिक्षा के लिए सहायता	32514.68	...	32514.68	37453.46	...	37453.46	32999.99	...	32999.99	37499.99	...	37499.99
12.02 ईएपी घटक	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- समग्र शिक्षा	*32514.68*	...	*32514.68*	*37453.47*	...	*37453.47*	*33000.00*	...	*33000.00*	*37500.00*	...	*37500.00*
13. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	12680.97	...	12680.97	11600.00	...	11600.00	10000.00	...	10000.00	12467.39	...	12467.39
14. राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढ़ीकरण-ईएपी	472.91	...	472.91	800.00	...	800.00	700.00	...	700.00	1250.00	...	1250.00
15. प्रधान मंत्रीय राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री)	...	...	...	4000.00	...	4000.00	2800.00	...	2800.00	6050.00	...	6050.00
16. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	76.41	...	76.41	157.00	...	157.00	100.00	...	100.00	160.00	...	160.00
17. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) में अंतरण	38000.00	...	38000.00	30000.00	...	30000.00	38000.00	...	38000.00	43000.00	...	43000.00
18. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-38000.00	...	-38000.00	-30000.00	...	-30000.00	-38000.00	...	-38000.00	-43000.00	...	-43000.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**45744.97**	**...**	**45744.97**	**54010.47**	**...**	**54010.47**	**46600.00**	**...**	**46600.00**	**57427.39**	**...**	**57427.39**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
19. वास्तविक वसूली	-250.57	...	-250.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***58639.56***	***...***	***58639.56***	***68804.30***	***0.55***	***68804.85***	***72473.15***	***0.65***	***72473.80***	***73007.34***	***0.76***	***73008.10***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	13666.98	...	13666.98	15012.58	...	15012.58	26771.60	...	26771.60	17126.82	...	17126.82
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	32.05	...	32.05	35.46	...	35.46	42.17	...	42.17	54.26	...	54.26
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.55	0.55	...	0.65	0.65	...	0.76	0.76
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**13699.03**	**...**	**13699.03**	**15048.04**	**0.55**	**15048.59**	**26813.77**	**0.65**	**26814.42**	**17181.08**	**0.76**	**17181.84**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	6510.88	...	6510.88	5375.45	...	5375.45	7029.63	...	7029.63
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	44031.86	...	44031.86	45234.07	...	45234.07	38416.92	...	38416.92	46620.77	...	46620.77
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	908.67	...	908.67	2011.31	...	2011.31	1867.01	...	1867.01	2175.86	...	2175.86
जोड़-अन्य	**44940.53**	**...**	**44940.53**	**53756.26**	**...**	**53756.26**	**45659.38**	**...**	**45659.38**	**55826.26**	**...**	**55826.26**
कुल जोड़	**58639.56**	**...**	**58639.56**	**68804.30**	**0.55**	**68804.85**	**72473.15**	**0.65**	**72473.80**	**73007.34**	**0.76**	**73008.10**

टिप्पणी: बजट अनुमान 2024-25 में मांग के लिए कुल निवल 73498.10 करोड़ रुपए (73008.10 करोड़ रुपए जोड़ 490.00 करोड़ रुपए) आबंटित है। अतिरिक्त 490.00 करोड़ रुपए की धनराशि को मध्यम एवं उच्चतर शिक्षा कोष (मॉस्क) के तहत पहले से उपलब्ध बकाया से पूरा किया जाएगा।

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।

2. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।

3. **शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार:** वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक , मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को प्रदान किए जाते हैं।

4. **प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव):** यह योजना अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध/ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों द्वारा चुनिंदा प्रतिभावान छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक पहल है।

5. **राष्ट्रीय अर्थोपाय सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय अर्थोपाय सह- योग्यता छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 6000 रुपए प्रति वर्ष (500 रुपए प्रति माह) एक लाख छात्रवृत्ति कक्षा IX के स्तर से शुरू होकर कक्षा XII तक की पात्रता के आधार पर प्रदान किए जाने के लिए वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जिससे उनका कक्षा VIII में स्कूल छोड़ने को रोका जा सके और उनको उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा XII तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का कार्पस क्रमशः संशोधित अनुमान 2023-24 में 250 करोड़ रुपये और बीई 2024-25 में 377 करोड़ रुपए रखा गया है।

6. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। एक पंजीकृत निकाय के रूप में सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित, स्थापित, नियंत्रित और प्रबंधित केंद्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का कार्पस वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में 1000 करोड़ रुपए रखा गया है और बीई 2024-25 में 2000 करोड़ रुपये रखा गया है।

7. **नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) -1986 के अनुसरण में (1992 में यथा संशोधित) आवासीय स्कूलों की स्थापना पर जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में देश के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) की स्थापना की गई थी। ये जेएनवी एक स्वायत्त संगठनों, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा चलाए जाते हैं, 1986 में स्थापित ये नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। एनवीएस की योजना के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) के लिए संशोधित अनुमान 2023-24 में 1750 करोड़ रुपए और बीई 2024-25 में 3000 करोड़ रुपये का कार्पस रखा गया है।

8. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

9. **राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता हासिल करने की दिशा में अपना योगदान करता आ रहा है।

12. **समग्र शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने की पूर्ववर्ती योजनाओं को समग्र शिक्षा योजना बनाने के लिए विलय कर दिया गया है। विलय का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को एक समग्र दृष्टिकोण देना है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2023-24 में प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का कोष 28000 करोड़ रुपये और 3000 करोड़ रुपये रखा गया है । बजट अनुमान 2024-25 में पीएसके के लिए 31000 करोड़ रूपये और मॉस्क के लिए 6490 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के लिए बजट अनुमान 2024-25 में 489.16 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2023-24 में 146.11 करोड़ रुपये आबंटित है।

13. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):** प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम - पोषण) जिसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, संशोधित अनुमान पर प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) का कोष प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना में 10000 करोड़ रुपये बजट अनुमान 2024-25 में 12000 करोड़ रुपये रखा गया है।

14. **राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढ़ीकरण-ईएपी:** राज्यों के लिए शिक्षण – ज्ञान अर्जन और परिणामों का सुदृढ़ीकरण परियोजना का उद्देश्य राज्यों को ऐसी पहल विकसित, कार्यान्वित करने उनका मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने में सहायता पहुंचाना है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा परिणामों और श्रम बाजार परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय द्वारा परिवर्तनशील कार्यनीतियों पर कार्य करने से है। परियोजना का समग्र ध्यान और इसके घटक गुणवत्ता आधारित ज्ञान अर्जन परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

15. **प्रधान मंत्रीय राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री):** पीएम श्री योजना पूर्व में एग्जामप्लर के नाम से जानी जाती थी जिसका उद्देश्य 15000 से ज्यादा उत्कृष्ट स्कूल तैयार करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करने में और समय बीतने के साथ-साथ एग्जामप्लर और उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में सामने आने में मदद करती है। वे न्यायोचित, समावेशी और हर्षमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे, जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और भिन्न

शैक्षणिक क्षमताओं वाले बच्चों का ध्यान रखेंगे और उन्हें एनईपी 2020 की दृष्टि के अनुसार उनके स्वयं की सीख प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागी बनाएगी।

16. **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की 'वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा' संबंधी सिफारिशों के साथ संरेखित करके वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)' वयस्क शिक्षा की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।